



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26082025-265713
CG-DL-E-26082025-265713

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 228]
No. 228]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 26, 2025/भाद्र 4, 1947
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 26, 2025/BHADRA 4, 1947

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2025

फा. सं. 5/1/2024-एनएस-भाग(1).—केंद्रीय सरकार, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का 38) की धारा 2 के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा यह विनिर्दिष्ट करती है कि

- (i) **7.70%** (सात दशमलव सात शून्य प्रतिशत) भारत सरकार एनएसएसएफ (आर) (राष्ट्रीय लघु बचत निधि) (अहस्तांतरणीय) विशेष प्रतिभूति, 2035-36 लोक ऋण कार्यालय द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 में रखे गए अनुषंगी सामान्य बही खाते में धारक के नाम से रखे जाने वाले 'स्टॉक' के रूप में जारी की जाएगी; और
- (ii) ये प्रतिभूतियां हस्तांतरणीय नहीं होंगी।

व्यासन आर., संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2025

F. No. 5/1/2024-NS-Part(1).—In exercise of the powers conferred by clause (f) of Section 2 of the Government Securities Act, 2006 (38 of 2006), the Central Government hereby specifies that

- (i) **7.70%** (Seven point seven percent) Government of India NSSF (R) (Non-trans) Special Securities, 2035-36 shall be issued in FY 2025-26 in the form of 'Stock' to be held at the credit of the holder in the Subsidiary General Ledger Account maintained by the Public Debt Office; and
- (ii) These securities shall not be transferable.

VYASAN R., Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2025

7.70% भारत सरकार (राष्ट्रीय लघु बचत निधि) (आर) (अहस्तांतरणीय) विशेष प्रतिभूति,
2035-36 का निर्गम

फा. सं. 5/1/2024-एनएस-भाग(1). —भारत सरकार, एतद् द्वारा **7.70** प्रतिशत भारत सरकार (राष्ट्रीय लघु बचत निधि) (अहस्तांतरणीय) विशेष प्रतिभूतियां, 2035-36 (इसमें इसके पश्चात इसे "विशेष प्रतिभूति" कहा गया है) का निर्गम अधिसूचित करती है।

2. उद्देश्य:

केंद्रीय सरकार 1.4.1999 से निवल लघु बचत एकत्रण के शेयरों के विरुद्ध जारी भारत सरकार और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की ऋण मुक्ति के कारण राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) में प्राप्त राशि पर इसमें इसके पश्चात अधिसूचित विशेष प्रतिभूति का निर्गम करेगी।

3. विशेष प्रतिभूतियों में अभिदान के लिए पात्रता:

सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, एनएसएसएफ की ओर से विशेष प्रतिभूतियों में अभिदान करने के लिए पात्र होंगे।

4. अभिदान:

विशेष प्रतिभूतियां ₹1,00,000 (अंकित मूल्य) की राशि के लिए और इसके बाद ₹1,00,000 के गुणकों में जारी की जाएंगी।

5. प्रतिभूतियों का स्वरूप:

विशेष प्रतिभूतियां, लोक ऋण कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर में रखे गए अनुषंगी सामान्य बही खाते में धारक के नाम रखे जाने वाले 'स्टॉक' के रूप में जारी की जाएंगी।

6. निर्गम का मूल्य, तारीख और स्थान:

- (i) विशेष प्रतिभूतियां सममूल्य पर जारी की जाएंगी।

- (ii) विशेष प्रतिभूतियां जारी करने की तारीख भारत सरकार के सहायक सामान्य बही खाते में विशेष प्रतिभूतियों के जमा होने की तारीख होगी।
- (iii) विशेष प्रतिभूतियां, लोक ऋण कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर में जारी की जाएंगी।

7. अवधि:

विशेष प्रतिभूतियों की अवधि निर्गम की तारीख से **10 वर्ष** होगी।

8. मांग और विक्रय विकल्प:

- i. विशेष प्रतिभूतियों में, इस विभाग की फाइल संख्या 4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018, तारीख 27 मार्च, 2018 द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना के पैरा 7.5 में यथाविनिर्दिष्ट मांग और विक्रय का विकल्प होगा।
- ii. भारत सरकार के पास दो वर्ष के पश्चात विशेष प्रतिभूतियों के सममूल्य पर पूर्ण अथवा आंशिक परिपक्वतापूर्व मोचन करने के लिए "मांग विकल्प" देने की विवेकाधीन शक्ति होगी। उस स्थिति में, विशेष प्रतिभूतियों पर सरकार द्वारा निर्णीत परिपक्वतापूर्व मोचन की तारीख से मोचित विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज प्रोद्भूत होना समाप्त हो जाएगा।
- iii. विशेष प्रतिभूतियों के धारक अर्थात् राष्ट्रीय लघु बचत निधि के पास दो वर्ष के पश्चात विशेष प्रतिभूतियों के सममूल्य पर पूर्ण अथवा आंशिक परिपक्वतापूर्व मोचन हेतु "विक्रय विकल्प" का प्रयोग करने के लिए विवेकाधीन शक्ति होगी। उस स्थिति में, विशेष प्रतिभूतियों पर परिपक्वतापूर्व मोचन की तारीख से मोचित विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज प्रोद्भूत होना समाप्त हो जाएगा।

9. ब्याज

- (i) विशेष प्रतिभूतियों पर **7.70%** (सात दशमलव सात शून्य प्रतिशत) प्रति वर्ष ब्याज लगेगा जो विशेष प्रतिभूतियों के निर्गम की तारीख से शुरू करके अर्ध-वार्षिक आधार पर देय होगा। प्रतिभूतियों पर ब्याज लोक ऋण कार्यालय (अर्थात् निर्गम कार्यालय), भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर में देय होगा।
- (ii) ब्याज निकटतम सौ रुपए के पूर्णांकन के बाद संदेय होगा।

10. चुकौती:

विशेष प्रतिभूतियों की चुकौती ऊपर पैरा-8 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्याधीन सममूल्य पर दस वर्षों के पश्चात अर्थात् वित्त वर्ष 2035-36 में निर्गम की उसी तारीख पर होगी।

11. हस्तांतरणीयता और संपरिवर्तन

विशेष प्रतिभूतियां हस्तांतरणीय नहीं होंगी और जब तक सरकार द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, तब तक किसी अन्य रूप में इनके संपरिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

12. सांविधिक उपबंध:

ऐसे किसी मामले के संबंध में, जिसका इस अधिसूचना में उल्लेख नहीं किया गया है, विशेष प्रतिभूतियां, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का 38) द्वारा अभिशासित होंगी।

व्यासन आर., संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2025

Issue of 7.70% Government of India NSSF (R) (Non-trans) Special Securities, 2035-36

F. No. 5/1/2024-NS-Part(1).—The Government of India, hereby notifies the issue of **7.70 per cent** Government of India NSSF (R) (Non-trans) Special Securities, 2035-36 (hereinafter called "special securities").

2. Objective:

Central Government shall issue the Special Securities notified hereunder against the amount received in the National Small Savings Fund (NSSF) on account of redemption of special Government of India and State Government securities issued against shares of net small savings collection from 1-4-1999.

3. Eligibility for subscribing to special securities:

The Secretary, Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, on behalf of NSSF, shall be eligible to subscribe to special securities.

4. Subscription:

Special securities will be issued for an amount of ₹1,00,000 (face value) and in multiples of ₹1,00,000 thereafter.

5. Form of securities:

The special securities will be issued in the form of 'Stock' to be held at the credit of the holder in the Subsidiary General Ledger Account maintained with Public Debt Office, Reserve Bank of India, Nagpur.

6. Price, Date and Place of Issue:

- (i) The special securities will be issued at par.
- (ii) The date of issue of special securities shall be date of credit of special securities to Subsidiary General Ledger Account of NSSF.
- (iii) The Special Securities will be issued at Public Debt Office, Reserve Bank of India, Nagpur.

7. Tenure:

The tenure of the special securities will be **10 years** from the date of issue.

8. Call and put option:

- i. The Special Securities will have call and put option as specified in paragraph 7.5 of the General Notification, issued vide this Department's F.No.4(2)-W&M/2018, dated 27th March, 2018.
- ii. The Government of India shall have the discretion to exercise "call option" to prematurely redeem the special securities wholly or partly at par, after two years. In that event, interest on the special securities shall cease to accrue on the redeemed special securities from the date of premature redemption decided by the government.
- iii. The holder of the Special Securities, i.e. National Small Savings Fund shall have the discretion to exercise "put option", for premature redemption of the special securities, wholly or partly at par, after two years. In that event, interest on the special securities shall cease to accrue on the redeemed special securities from the date of premature redemption.

9. Interest:

- i. The special securities bear interest at the rate of **7.70%** (Seven point seven per cent.) per annum payable on half-yearly basis. Interest on the securities will be payable at the Public Debt Office (i.e. the office of Issue), Reserve Bank of India, Nagpur.
- ii. Interest will be paid after rounding off to nearest hundred rupees.

10. Repayment:

The special securities shall be repaid at par after ten years i.e. in FY 2035-36 on the same day of issue subject to the terms specified under paragraph 8 herein above.

11. Transferability and conversion:

The Special Securities shall not be transferable and conversion of the securities to any other form shall not be permitted, until and unless otherwise specified by the Government.

12. Statutory Provisions:

With respect to any such matter which has not been provided under this notification, the special securities shall be governed by the Government Securities Act, 2006 (38 of 2006).

VYASAN R., Jt. Secy.